

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान

461/1/1, चन्द्रलोक कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून 248001
दूरभाष-7830005969 वेबसाईट-www.ubs.uk.gov.in

विज्ञप्ति-03/नियुक्ति/2025

भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-340043/XXXIX/2025-62(सा.)/2010 (E-89100) दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पदों पर दिनांक 20 फरवरी, 2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्रम	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	उप निदेशक	67700-208700 (लेवल- 11)	01
02	सहायक निदेशक	56100-177500 (लेवल- 10)	02
03	शोध अधिकारी	56100-177500 (लेवल- 10)	01
04	प्रकाशन अधिकारी	47600-151100 (लेवल- 08)	01
05	सहा.पुस्तकालयाध्यक्ष	44900-142400 (लेवल- 07)	01
06	लेखाकार	35400-112400 (लेवल- 06)	01

उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, पात्रता शर्तें आदि भाषा संस्थान की वेबसाईट-www.ubs.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

(मायावती ढकरियाल)
निदेशक

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान

461 / 1 / 1, चन्द्रलोक कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून 248001

दूरभाष-7830005969 वेबसाईट-www.ubs.uk.gov.in

01. आवेदित पद का नाम.....
02. आवेदक का नाम.....
03. पिता / पति का नाम.....
04. जन्मतिथि.....
05. आयु (01.04.2025 को) वर्ष माह दिन
06. श्रेणी (सामान्य / अनु.जाति. / अनु.जनजाति / अ.पि.वर्ग).....
07. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित.....
.....
08. ई.मेल आई.डी. एवं दूरभाष.....
09. शैक्षिक योग्यता.....
.....
10. अन्य विशेष योग्यता / विशेषज्ञता (यदि कोई हो).....
11. मूल विभाग का नाम.....
12. पदनाम (वर्तमान में धारित पद)
13. वेतनमान एवं वेतन लेवल तथा कुल परिलब्धि रु.....
14. वर्तमान नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति का उल्लेख.....
(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि.....
(ख) प्रतिनियुक्ति (यदि पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों).....

15. वर्तमान कार्यरत/कार्यक्षेत्र का विवरण—

(क) केन्द्रीय सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

16. अन्य सूचना, यदि कोई है, जिसका आप अपने पद की उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना

चाहते हैं—

संलग्नों की संख्या.....

स्थान.....

दिनांक

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

आवेदक के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये विवरण सही हैं, और आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित एवं अपेक्षित नहीं है और आवेदक सतकर्ता की दृष्टि से मुक्त है, साथ ही पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़े व छोटे दंड आरोपित नहीं किये गए हैं।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(पदनाम एवं मुहर सहित)

उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती हेतु उनकी योग्यता, शैक्षिक अर्हता, सेवा संबंधी अर्हता एवं सेवा अनुभव निम्नवत है—

क्रम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अर्हता		
				शैक्षिक अर्हता	सेवा संबंधी अर्हता	अनुभव
01	उप निदेशक	01	67700—208700 (लेवल—11)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि	केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं सहित) के अधीन ऐसे अधिकारी— 01. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो अथवा 02. जिन्होंने 56100—177500 (लेवल—10) (रु. 15600—39100 ग्रेड पे रु. 5400 संशोधित) अथवा समकक्ष वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा 01. जिन्होंने रु. 47600—151100 (लेवल— 08) (9300—34800 ग्रेड पे रु0 4800) अथवा समकक्ष वेतनमान में 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो	01. 05 वर्ष का प्रशासनिक/अधिष्ठान संबंधी कार्यों का अनुभव। 02. कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान
02	सहायक निदेशक	02	56100—177500 (लेवल—10)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ➤ प्रथम पद हेतु हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ➤ द्वितीय पद हेतु उर्दू या पंजाबी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष	केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं सहित) के अधीन ऐसे अधिकारी— 01. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो अथवा 02. जिन्होंने रु. 47600—151100 (लेवल— 08) (9300—34800 ग्रेड पे रु0 4800) अथवा समकक्ष वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो	01. 03 वर्ष का प्रशासनिक /अधिष्ठान संबंधी कार्यों का अनुभव। 02. कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान
03	शोध अधिकारी	01	56100—177500 (लेवल—10)	01. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष और 02. हिन्दी साहित्य पर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त	केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं सहित) के अधीन ऐसे अधिकारी— 01. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो अथवा 02. जिन्होंने रु. 47600—151100 (लेवल— 08) (9300—34800 ग्रेड पे रु0 4800) अथवा समकक्ष वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो	01 हिन्दी/भाषा विज्ञान/कोश रचना के अनुसंधान में 05 वर्षों के साथ 03 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। 02 कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान

04	प्रकाशन अधिकारी	01	47600—151100 (लेवल—08)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातक उपाधि	केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं सहित) के अधीन ऐसे अधिकारी— 01. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो अथवा 02. जिन्होंने रु. 44900—142400 (लेवल— 07) (9300—34800 ग्रेड पे रु0 4600) अथवा समकक्ष वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो	01. पुस्तकों, पत्रिकाओं, विद्यालयी पाठ्यक्रमों, पूरक पुस्तकों के संकलन, सम्पादन, लेखन तथा प्रकाशन करने का 03 वर्ष का अनुभव। 02. प्रूफ पठन, टाइपोग्राफी का ज्ञान। 03. कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान
05	सहा. पुस्तकालयाध्यक्ष	01	44900—142400 (लेवल—07)	01.भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि/समकक्ष योग्यता। 02.केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का एक वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष योग्यता।	केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं सहित) के अधीन ऐसे अधिकारी/कर्मचारी— 01. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो अथवा 02. जिन्होंने रु. 35400—112400 (लेवल— 06) (9300—34800 ग्रेड पे रु0 4200) अथवा समकक्ष वेतनमान में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो	लाईब्रेरी कार्य का 05 वर्ष का अनुभव तथा लाईब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी हो।
06	लेखाकार	01	35400—112400 (लेवल—06)	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य की स्नातक उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकान्टेन्सी तथा कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान	पात्रता शर्त :- केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थाओं सहित) के अधीन ऐसे कार्मिक 01. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो अथवा 02. सहायक लेखाकार जिन्होंने रु. 28200—92300 (लेवल— 05) (5200—20200 ग्रेड पे रु0 2800) अथवा समकक्ष वेतनमान में 07 वर्ष की नियमित सेवा की हो	01.वित्तीय नियम संग्रहों एवं अधिप्राप्ति नियमों का ज्ञान 02.कैशबुक, लेजर, पे बिल रजिस्टर, जी.पी.एफ., टी. डी.एस., जी.एस. टी. एवं अन्य टैक्स की जानकारी 03.एकाउन्ट के विभिन्न साफ्टवेयर जैसे टेली एवं एक्सल पर कार्य करने का अनुभव
	योग:-	07				

पदों की अर्हतायें/विवरण

01. उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति वित्त अनुभाग-10 के शासनादेश सं.-287698/XXVII (10)/E-53955/2025 दिनांक 01 अप्रैल, 2025 द्वारा राज्यान्तर्गत वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-02 से 04 के मूल नियम-110 के अनुरूप जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत होगी।
02. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है, या किसी पूर्व सूचना के किसी पद या सभी पदों को भरने की प्रक्रिया किसी समय स्थगित या पूर्ण रूपेण समाप्त की जा सकती है।
03. चयनित अधिकारियों का वेतन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार देय होगा।
04. प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तीन वर्ष की होगी, जिसे तीन वर्ष से पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
05. विज्ञापित पदों हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो निर्धारित वेतनमान एवं वेतन लेवल अथवा समतुल्य वेतनमान अथवा इससे ठीक एक वेतन लेवल नीचे में अथवा समतुल्य वेतनमान में कार्यरत हों, आवेदन करने हेतु अर्ह हैं।
06. भारत सरकार/राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उपक्रम अथवा परिषद अथवा स्वायत्त संगठन अथवा विश्वविद्यालय के कार्यरत नियमित/स्थाई कर्मचारी ही उपरोक्त पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।
07. अभ्यर्थी के अपने मूल विभाग में कार्यरत रहने पर ही उसका आवेदन स्वीकार किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
08. उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
09. अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान होने अथवा जाँच में दोषी पाये गये कार्मिक आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
10. जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु दिनांक 01.04.2025 को 05 वर्ष या 05 वर्ष से कम शेष रह गयी हो, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. पद हेतु निर्धारित वेतन लेवल से ऊपर के वेतन लेवल में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

12. यदि सम्बन्धित कार्मिक के मूल विभाग में 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं होगी तो संस्थान कार्यालय द्वारा 7th Pay Commission की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
 13. अभ्यर्थियों द्वारा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा जाए।
 14. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न कर प्रेषित किये जाने हैं—
 - (क) उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित अग्रेषण/पैतृक विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
 - (ख) पिछले पाँच साल के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की सत्यापित प्रति।
 - (ग) पिछले दस वर्षों के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा प्रमुख/माइनर दंड का विवरण, यदि कोई हो।
- नोट— 01. एक बार आवेदन करने तथा चयन के पश्चात उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।